

Administrative
29/11/17

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या-.....37.....सन् 2017-18

केश का प्रकारबिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार-भोला पाण्डेय प्रतिपक्षी:- बिहार सरकार वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
22.11.17	<p>आवेदक भोला पाण्डेय पेशर स्व0 बच्चेलाल पाण्डेय, साकिन- मौजे पिरही थाना-बाबूबरही ने बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-9 के अंतर्गत वकालतन आवेदन देते हुये विपक्षीगण के नाम से कायम संख्या-1209,1210,1211,1212,1213, 1214, 1215 एवं 1216 को रद्द कर आवेदक के नाम पर जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने निम्नांकित को प्रतिपक्षी बनाया है:-</p> <p>1- बिहार सरकार.....विपक्षी प्रथम पक्ष। 2- ननु चौधरी 3- ललन चौधरी 4- सरोज चौधरी 5- हीरा चौधरी पेशरान सूर्यनारायण चौधरी साकिनान-श्यामसिर्धप थाना-बाबूबरही 6- माधव ठाकुर पिता प्रेमचन्द्र ठाकुर साकिन जगदर मौजे कछवी थाना लखनौर 7- रामचन्द्र ठाकुर पे0 प्रीतम ठाकुर साकिन- सिसौनी थाना-झंझारपुर 8- सुनिल सिंह पे0 चन्द्रेश्वर सिंह 9- दुर्गाचन्द्र झा 10- भद्रकान्त झा 11-चन्द्रकान्त झा पेशरान कुलानंद झा 12- सुबोध नारायण राय 13- सूर्यनारायण राय 14- सुशील राय 15- सुरेन्द्र राय पेशरान रामस्वरूप बराय 16- अविनाश ठाकुर पे. ब्रम्हानन्द ठाकुर 17- उपेन्द्र सिंह पे0 नथुनी सिंह 18- अनिल सिंह पे0 दिनेश सिंह</p> <p>सभी साकिनान-जगदर कछवी थाना-लखनौर.....विपक्षी द्वितीय, पक्ष। आवेदक के आवेदन को एडमिशन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक..... 06.12.17.....को प्रस्तुत करें।</p> <p>लेखापति</p> <p>अपर समाहर्ता, मधुबनी</p> <p>अपर समाहर्ता, मधुबनी</p> <p>आवेदक के विरुद्ध शकियता को रद्द करने के बिन्दु पर धृष्टा। आवेदक का आवेदन दाखिल खारिज के अन्तर्गत है। इस हेतु बिहार शासक अधिनियम 2011 के अन्तर्गत आवेदक के अन्तर्गत हुये भूमि मुपान्तन अधिनियम का अन्तर्गत अधिनियम के बिन्दु पर आवेदन रखा कि जमा है</p>	<p>DEA</p> <p>CHN 23/17 11/12/17</p> <p>अपर समाहर्ता, मधुबनी</p> <p>अपर समाहर्ता, मधुबनी</p>